विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 412 दिनांक : 27/2/17

प्रति,

प्राचार्य,

एडवासं कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड कामर्स

तीन बत्ती चौराहा, फ्रीगंज,उज्जैन।

विषय : **विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।**

संदर्भ :– महाविद्यालय का पत्र क्रमांक / 2016,दिनांक 04.06.2016,एवं 443,दिनांक 26.10.2016, तथा 2068,दिनांक 29.12.2016

शिक्षा सत्र 2016–17 में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / संबद्धता प्रदा करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.02.2017 में प्रस्तुत किया गया, उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016–17 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	बी.कॉम.(आनर्स)–द्वितीय वर्ष	90

शर्ते :–1. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत चयन की प्रक्रियानुसार शेष शिक्षकों का चयन करावें।

2. बी.कॉम.(आनर्स) तृतीय सेमेस्टर की पाठ्यक्रमानुसार 20–20 पुस्तकें तथा चतुर्थ सेमेस्टर की प्रत्येक विषय की 20–20 पुस्तकें ओर मंगवाई जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

क्रमांक / अकादमिक / संबद्धता / 2017 / 412

दिनांक : 27/2/17

प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
4. प्राचार्य,संबंधित अग्रणी महाविद्यालय,विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र,उज्जैन।
5. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव,परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

की ओर सूचनार्थ।

कुलसचिव

विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1795

दिनांक :- 07/06/16

:: सूचना ::-

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- एडवांस कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड कॉमर्स, उज्जैन

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) बी.कॉम. (आनर्स)- द्वितीय वर्ष

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. प्रो.आर.के.जैन -प.ज.ने. व्यवसाय प्रबंध संस्थान, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
02. डॉ.राकेश ढण्ड, -विद्यार्थी कल्याण संकाय, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
03. डॉ.अनिल जैन -उपाचार्य पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान,अ.शा.वि.वि.,उज्जैन

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण करके पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्राधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन,क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम ऑर्डिनेंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशंसाए अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाऐं/संसाधन के भौतिक सत्यापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचनार्थ कि कृपया अविलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयोग्राफी की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयोग्राफी के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों को पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

[signature] 6/6

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)

निरंतर...02